न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 02/2016
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00026
अनवान

1. जैरूपा पुत्र मनजी, उम्र–70 वर्ष
2. कोजा पुत्र मनजी, उम्र 80 वर्ष
3. जगमाल पुत्र मनजी, उम्र–68 वर्ष, जातियान भील, निवासीगण–भादरणा, तहसील सांचौर जिला जालोर

प्रार्थीगण..................

1. जगमाल पुत्र तलछा।
2. चैला पुत्र तलछा।
3. छगना पुत्र तलछा।
4. परखा पुत्र तलछा।
5. मला पुत्र तलछा।
6. सुरा पुत्र तलछा।
7. छोगा पुत्र केसा।
8. गमरा पुत्र वरजांगा।
9. लाला पुत्र वरजांगा।
10. दजा पुत्र वरजांगा।
11. गणेशा पुत्र वरजांगा।
12. कसुबी वैवा वरजांगा जातियान– भील, निवासीगण–भादरणा, तहसील– सांचौर।
13. व्यवस्थापक–जालोर स. भू. वि. बैंक लिमिटेड, जालोर।
14. व्यवस्थापक– एस.बी.बी.जे बैंक, शाखा– सांचौर।
15. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 18.02.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधि[illegible] उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 15 की आरे से राजपैरोकार नायब त[illegible]लदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 01.08.2025

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि वाके सरहद मौजा– भादरणा, पटवार हल्का चौरा में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406/1992 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1403/1995 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405/1996 रकबा 0.16 हेक्टर, की आई हुई है। उपरोक्त हिस्से अनुसार उक्त आराजी का हम प्रार्थीगण सदैव लगान अदा करते आ रहे हैं तथा गिरदावरी हमारे नाम तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी के दक्षिण की तरफ रास्ता आया हुआ है रास्ते को छोड़कर अप्रार्थी सं. 1 से 12 के खेत आये हुए है इस प्रकार अप्रार्थीगण हमारे खेतो के पड़ौसी खातेदार है। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा आये हुए है। लेकिन उक्त खेतों की माठ को रास्ते की सीमा में मिलाकर अप्रार्थीगण अपनें खेत में मिलानें की चेष्टा करते रहते हैं। उक्त खेत की माठ पर वर्षो पुरानें खड़े दरखत को काटकर माठ को रास्ते की सीमा में तोडते रहते हैं तथा जबरन हमारे खेतों को हड़पना चाहते हैं। अप्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करनें को उतारू रहते हैं। तथा मौका पाकर आये दिन प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाएं नष्ट करते रहते हैं। इसका स्थाई हल मात्र खेतों की स्थायी नेखबन्दी, पत्थर चीणें, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है। अन्य कोई विकल्प नहीं होनें की सूरत में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण में उक्त खेतों का सीमांकन भी हल्का पटवारी व भू निरीक्षक बिजरोल से दिनांक 25.11.2015 को किया गया। लेकिन नही मानकर अप्रार्थीगण नें झगडा–टंटा करनें पर उतारू रहते हैं तथा अप्रार्थीगण ऐलानियां धमकियां देते हैं कि हम आपको जबरन खेत के कब्जे से बेदखल कर देगें। हम प्रार्थीगण के वर्षो पुरानी माठ को तोड़ते रहते हैं। जिससे हमें हैरान–परेशान कर रखा है। दिनांक 15.02.2016 को अप्रार्थीगण संख्या एक से बारह नें हमारे खेत में सीमा विवाद कर खेत की सीमा अपनी मनमर्जी अनुसार अवैध रूप से नक्शे से हटकर तय करनें लगे। ऐसी परिस्थिति में हम प्रार्थीगण की आराजी का स्थायी सीमा निर्माण की नेखमबन्दी करनें का विनाय पैदा होनें से प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा भादरणा, पटवार हल्का चौरा में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406/1992 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible]95 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405/1996 रकबा 0.16 हैक्टर की प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श अ में नक्शानुसार व राजस्व नक्शे में तरमीम अनुसार स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थरगड्डी चीणों से करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा आवश्यकतानुसार समुचित पुलिस इमदाद भी पुलिस थाना झाब से दिलायी जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबन्दी करवाये जानें का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री सदराम विष्नोई उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 13 से 15 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. अप्रार्थी संख्या 1 से 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–उक्त अनवान के प्रकरण की पत्रावली मे रेकर्ड दुरस्ती संबंधी अन्य पत्रावली श्रीमान की अदालत में लंबित है। तथा मामला रेकर्ड दुरस्त का है। इस स्तर पर नेखमबंदी की जाती है तो रेकर्ड दुरस्ती प्रभावित होगी। ऐसी स्थिति में रेकर्ड दुरस्ती व इस पत्रावली को साथ सुनवाई की जानी आवष्यक है व रेकर्ड दुरस्ती आदेष होने पुनः पैमाईष करवा कर ही उक्ता प्रार्थना पत्र पोषणीय होगा अन्यथा काबिल खारीज है। ग्राम भादरुणा के खेत खसरा नम्बर 1401, 1402, 1403, 1405, 1406/1992, 1406, 1403/1995, 1405/1996 के संबंध में रेकर्ड दुरस्ती का मामला लंबित है। ऐसी स्थिति में नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र अपोषणीय है। मौके पर कब्जा पुराने रेकर्ड व नक्शा अनुसार सही है। जहां नये सर्वे अधिकारी ने रेकर्ड दुरस्त कर नक्षा पुराने नक्षे से भिन्न तैयार किया है। जिसके दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र लंबित है। साथ ही खसरा नंबर की संपूर्ण पैमाईस आज दिन तक नहीं हुई है, अपूर्ण पैमाईस रिपोर्ट व अंतिम रुप से पैमाईस आज दिन तक नहीं हुई है। अपूर्ण पैमाईस रिपोर्ट व अंतिम रुप से पैमाईस होने पर ही उस पैमाईस के आधार पर नेखमबंदी संभव है। जो नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपूर्ण पैमाईस रिपोर्ट के आधार पर पेश नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है।

4. प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन कर प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौजा भादरुणा पटवार हल्का चौरा के खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406/1992 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1403/1995 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405/1996 रकबा 0.16 हैक्टर में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श **अ** में नक्शानुसार व राजस्व नक्शे में तरमीम अनुसार स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थरगड्डी चीणों से करनें का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें। अप्राथीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त खसरान की संपूर्ण पैमाईस आज दिन तक नहीं हुई है। अपूर्ण पैमाईस रिपोर्ट व अंतिम रुप से पैमाईस होने पर ही उस पैमाईस के आधार पर नेखमबंदी संभव है। जो नहीं हुई है।

5. हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पर तहसीलदार सांचौर से [illegible] आदेश [illegible] पटवारी द्वारा दिनांक 25.11.2015 को प्रार्थीगण की आराजी मौजा [illegible] [illegible] नम्बर 1401 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 0.02 हैक्टर [illegible] नम्बर 1403 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible]/1992 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1403/1995 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405/1996 रकबा 0.16 हैक्टर आराजी का मौका तस्दीक किया गया, मौके पर विवाद होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

के कारण सीमांकन नहीं किया गया। जिससे मौके पर सीमा विवाद कायम रहा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा भादरुणा पटवार हल्का चौरा के खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406/1992 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1403/1995 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405/1996 रकबा 0.16 हैक्टर आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा भादरुणा पटवार हल्का चौरा के खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1403 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405 रकबा 1.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406/1992 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 1406 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 1403/1995 रकबा 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 1405/1996 रकबा 0.16 हैक्टर आराजी के मध्य माठ की पैमाईष कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 30 दिवस में पालना प्रस्तुत करें एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियॉ नक्षा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **01.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.05 14:36:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner